राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –860/2011/अलवर

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विशेष वृत द्वितीय,
भिवाडी,अलवर

.....अपीलार्थी

बनाम

मै0 ओरिएन्ट सिन्टैक्स,
इण्ड0 एरिया, भिवाड़ी

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री ईश्वरी लाल वर्मा,सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से
श्री विवेक सिंघल,
अधिकृत अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 06/01/2016

निर्णय

अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग,अलवर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 144/सीएसटी/2008–09/उपा/अपील्स/अलवर में पारित किये गये आदेश दिनांक 06.09.2010 के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वैट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत–बी, भिवाड़ी(जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2005–06 का कर निर्धारण केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,1956 (जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 29 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.03.2008 को पारित किया गया था जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध रू0 12,03,369/– की मांग सृजित की गई थी। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 06.09.2010 के द्वारा अपील स्वीकार कर, प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध जो मांग कायम की गई है वह उचित है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक स्थिति पर समुचित रूप से विचार किये बिना, प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश विधिसम्मत एवं उचित नहीं है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने राजस्व की अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी का प्रकरण प्रतिप्रेषित करने संबंधी अपीलाधीन आदेश अपास्त करने का अनुरोध किया।

लगातार.....2

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रारम्भिक एतराज जाहिर करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 06.09.2010 द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण पुनः कतिपय बिन्दुओं पर जॉच कर नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया था। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेणण आदेश की पालना में पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 17.02.2012 को पारित कर दिया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 17.02.2012 पारित कर दिये जाने के कारण अपील सारहीन हो गयी है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि का प्रतिप्रेषित कर निर्धारण आदेश दिनांक 17.02.2012 की प्रति पेश की है, साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त सहायक आयुक्त, हनुमानगढ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग (2009) 25 टैक्स अपडेट 59 एवं कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पूर्व पारित वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,जोन द्वितीय,जयपुर बनाम मै0 गोदरेज एण्ड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि0 जयपुर निर्णय दिनांक 10.5.2012 का भी हवाला देते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का एवं कर निर्धारण अधिकारी के प्रतिप्रेषित कर निर्धारण आदेश दिनांक 17.02.2010 का ससम्मान अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 06.09.2010 के अवलोकन पर ज्ञात होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः जॉच कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया था। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि उक्त प्रतिप्रेषित आदेश के अनुसरण में, कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः जॉच कर, कर निर्धारण दिनांक 17.02.2012 को पारित कर दिया है।

अतएव अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 06.02.2010 की पालना में, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 17.02.2012 पारित कर दिये जाने से, अपीलीय अधिकारी के प्रकरण प्रतिप्रेषित करने संबंधी अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध विचाराधीन अपील चलने योग्य नहीं रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **सहायक आयुक्त, हनुमानगढ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग (2009) 25 टैक्स अपडेट 59** के अभिनिर्णय में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 06.02.2010 के विरूद्ध यह अपील सारहीन (Infructous) होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रश्नगत अपील सारहीन(Infructuous) होने से खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

6-1-2016

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य